राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.04.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के

उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढ़ांचा **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है। मुख्यालय पर विभाग के कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2 पर** दर्शायी गयी है। विभागीय अधिकारियों की डायरेक्टरी, मय उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य, **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

विभाग के उद्देश्य :–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अर्न्तगत राज्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के उपाय, उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, लोगों का क्षमता संवर्धन करना, आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराना, आदि विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं।

विभाग के मुख्य कार्यः–

मुख्य कार्य :– इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैंः–

(1) राज्य में आपदा से संबंधित विभिन्न विभागों, जिलों व राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना व उन्हें अद्यतन करवाना।

(2) राज्य में आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करना।

(3) आपदा प्रबंधन योजना अनुसार संवेदनशील क्षेत्र में नागरिकों, संस्थाओ, कर्मचारियों/अधिकारियो का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन करना।

(4) आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घ कालीन योजनाओं द्वारा विकास कार्यों के माध्यम से आधारभूत संरचनाऐं एंव संसाधन विकसित करना।

(5) विभिन्न आपदाओं के परिपेक्ष्य में सभी आवश्यक तैयारियां आपदा सम्भावित क्षेत्र में सुनिश्चित करना ताकि आपदा के समय न्यूनतम जन–धन हानि हो।

(6) आपदा से प्रभावितों को निर्धारित मापदण्डानुसार एवं बजट उपलब्धता के अनुसार सहायता प्रदान करना।

(7) आपदा के समय विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य करना।

सूखाः– राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्रायः अकाल की स्थिति रहती है। वर्षा की कमी/अभाव की स्थिति में भारत सरकार की सूखा संहिता 2016 के अनुसार ट्रीगर–1 व ट्रीगर–2 के बाद ग्राउंड ट्रूथिंग व जिले से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभाग के आकलन के आधार पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा अभाव की घोषणा की जाती है। अभाव अवधि में अभावग्रस्त गांवो में विभिन्न राहत गतिविधियां संचालित की जाती है जैसेः–

पशु संरक्षण गतिविधियां :–

1. **पशु शिविरः–** राजकीय संस्था एवं पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से पशुशिविर खोले जाकर लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के पशुओं को राहत सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के संशोधित मानदण्डों में पशु शिविरों हेतु जिला कलेक्टर्स को आवश्यकता अनुसार 30 से 90 दिवस की अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। विशेष परिस्थिति में उक्त 90 दिवस अवधि को राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय एस.डी.आर.एफ. हेतु आवंटित राशि के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

2. **चारा डिपोः–** अभावग्रस्त जिलों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से चारा डिपो संचालित करवाये जाते हैं। पशुपालकों को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा वितरण किया जाता है।

3. **पेयजल परिवहन व्यवस्थाः–** विभाग द्वारा जिस स्थान पर नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ/अकाल के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, सर्वप्रथम यह प्रयास ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वंय सेवी संस्था/दान दाताओं के

सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यदि स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना कम/ नगण्य और 1 कि.मी. की परिधि से कोई भी पेयजल स्रोत ना हो विभागीय निर्देशों की अनुपालना PHED द्वारा पेयजल परिवहन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तथा जिला कलक्टर द्वारा स्थानीय मांग पर टैंकर्स के माध्यम से आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन अभाव अवधि के दौरान केवल अभावग्रस्त क्षेत्रों में कराया जाता है। इस पर होने वाला व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद से वहन किया जाता है।

4. **कृषि आदान अनुदान** :– प्रभावित पात्र कृषकों को बजट उपलब्धता अनुसार SDRF के मानदण्डों के अनुसार कृषि सहायता प्रदान की जाती है।

5. **अग्नि पीड़ितों को सहायताः–** अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

6. **मानव जनित आपदाः–**

   (1) बॉम्ब ब्लास्ट पैकेज पत्र क्रमांक प.2(17) गृह–5/02 दिनांक 27 अगस्त, 2008 को जारी किया गया।
   (2) चामुण्डा देवी मन्दिर मेहरानगढ़, जोधपुर प्रकरण में पैकेज पत्र क्रमांक एफ 6(5) एसओ/2008/12921 दिनांक 24.10.2008 को जारी किया गया।
   (3) उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी राहत पैकेज क्रमांक एफ.( ) आ.प्र.एवं सहा./उत्तराखण्ड राहत पैकेज/2013/11041–91 दिनांक 29.07.2013 को जारी किया गया। उक्त पैकेजों का विवरण विभागीय वैब साईट WWW.dmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त सुविधा मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन की जा रही है।

7. **बाढ़ :–** राज्य के कुछ हिस्सो में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ की स्थिति उत्पन होने की सम्भावना रहती है। विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कराए जाते हैं। मानसून के दौरान वैदर वॉच ग्रुप की

साप्ताहिक बैठक आयोजित कर वर्षा पर निगरानी रखी जाती तथा सहायता कार्यो के लिये आपदा राहत कोष के मानदण्डो के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनरूद्वार के लिये राशि प्रदान की जाती है। इसी सम्बंध में माननीय मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की अध्यक्षता में सम्भावित बाढ़ से बचाव हेतु तैयारियों के सम्बंध में बैठक आयोजित की जाती है तथा सभी जिला कलेक्टर्स को तैयारियों के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए चैक लिस्ट भी भेजी जाती है, उसी के अनुरूप जिला कलेक्टर्स द्वारा आवश्यक तैयारियां की जाती है और सभी सम्बंधित ऐजेंसियों/विभागों यथा मौसम विभाग, सिंचाई विभाग, जन. स्वा. अभि. विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, नागरिक सुरक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम, डाक एवं तार विभाग, पुलिस विभाग, सैना, वायुसेना, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आदि को दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

8. **अंधड़/तूफानः–** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा तेज आंधी/अंधड़ तूफान जिससे वृहत स्तर पर जान व माल की हानि हो को राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा (State Speific Disaster) के रूप में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(1) आ.प्र.सहा./ओला./2018/6282–340 दिनांक 17.04.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया। यह अधिसूचना दिनांक 11. 04.18 से प्रभावी है।

विभाग से संबंधित संस्थाऐं/समितियां :–

1. **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** :– राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण में अन्य 08 सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

उक्त प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव है तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इसके सदस्य सचिव है।

2. **राज्य कार्यकारी समिति** :– अधिनियम की धारा 20 की पालना में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राधिकरण के निर्णयों की पालना करवाना, आपदा के निवारण, शमन एंव पूर्व तैयारी हेतु वित्तिय प्रावधान करना आदि मुख्य कार्य किये जाते हैं।

3. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** :– राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार जिलों मे जिला कलक्टर की अध्यक्षता मे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह समिति अधिनियम के प्रावधानानुसार जिले में आपदा प्रबंधन के कार्य करती है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हेतु ही राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक बुलाई जाती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सेक्शन 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है।

4. **आपदा प्रबन्धन सूचना तंत्र** :– विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का ऑन लाईन संचालन विभागीय सॉफ्टवेयर एपलिकेशन (DMIS) द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्य जैसे स्वीकृति जारी करना, बजट आवंटन करना, राहत गतिविधियां की प्रगति आदि शामिल है।

5. **राज्य नियंत्रण कक्ष :–** आपदा प्रबन्धन के लिए आपदाओं से निपटने के लिये एक **राज्य नियंत्रण कक्ष** की स्थापना शासन सचिवालय, जयपुर में की गई है, जहां से आपदाओं के घटित होने की स्थिति में पूर्ण रूप से निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। (दूरभाष नम्बर **1070, 2227296, 5110865)** । राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक जिले एंव तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आपदाओं हेतु नोडल विभाग निर्धारित कर दिये गये हैं,

विभाग द्वारा क्रियान्वयन किए जाने वाले अधिनियम/नियम एवं निर्देश :–

(1) राजस्थान अफेक्टेड एरियाज अधिनियम,1952
(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
(3) आपदा प्रबंधन नियम, 2009
(4) सूखा प्रबंधन संहिता
(5) बाढ़ संहिता
(6) भूकम्प संहिता
(7) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के प्रावधान
(8) आपदा प्रबंधन एवं सहायता निर्देशिका
(9) राहत कार्य सचांलन के दिशा–निर्देश
(10) राज्य आपदा प्रबन्धन नीति
(11) राज्य आपदा प्रबन्धन योजना
(12) State Platform for Disaster RisK Reduction (SPDRR)
(13) State Guidelines on Minimum Standards of Relief For Victims of Disasters.

वित्तीय प्रावधान :– वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितो को सहायता प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत केन्द्र एंव राज्य सरकार से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एंव राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। आपदा राहत निधि में केन्द्र सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. मदों में राशि जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष की निर्धारित सीलिंग अनुसार दो किश्तों में राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है जिसमे राज्य सरकार अपना अंश मिला कर उसे राज्य आपदा मोचन निधि मे वित्त विभाग के माध्यम से समायोजित करती हैं। इस प्रकार निधि में जमा राशि को वित्त विभाग से बजट मद 2245 में बजट प्रावधान स्वीकृत करवाकर विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ. मापदण्डो के अनुसार जिला कलेक्टरों को ऑनलाइन मांग प्राप्त होने पर बजट आंवटन किया जाता है।

राजस्थान राहत कोष :– एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एंव बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबन्धन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता

में गठित **राज्य स्तरीय समिति** द्वारा किया जाता है। दान दाताओं द्वारा इस कोष में दान स्वरूप अंशदान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत छूट देय है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.04.2022 में इस कोष की अवधि आगामी 4 वर्ष (दिनॉक 31.03.2026) तक बढ़ाये जाने की अभिशंषा का निर्णय लिया जा चुका है। इस कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित आपदाओं को शामिल किया गया है:–

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढ़हने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य
3. बहुमंजिले भवनो के ढ़हने, कुए के ढ़हने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य
4. मिट्टी एवं चट्टान ढ़ह जाने तथा कुए में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव के कार्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदायें जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हों, निर्णीत की जा सकती हैं।

विभाग द्वारा संधारित अभिलेख :– आपदा प्रबंधन एंव सहायता विभाग एंव जिला कलक्टर कार्यालयो में आवश्यकता अनुसार निम्न अभिलेख रखे जाते हैं :–

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित राशि से संबंधित अभिलेख।

(2) अभाव घोषणा अन्तर्गत फसल खराबे का अन्तिम प्रतिवेदन भेजने के प्रपत्र/अभिलेख ।

(3) भारत सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन ।

(4) राशि की आवश्यकता का मांग पत्र ।

(5) अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट ।

(6) अकाल संहिता, बाढ संहिता, भूकम्प संहिता, सहायता निर्देशिका में दिये गये प्रपत्र अभिलेख ।

(7) स्थापना/भुगतान/बैंठको संबंधी अभिलेख।

(8) प्रगति प्रतिवेदन/आपदा प्रबंधन योजनाऐं आदि ।

(9) आय/व्यय अभिलेख ।

विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 उपधारा 1 व 2 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.20(22)प्रसु/सू.अ.प्र./2008 दिनांक 05.05.2011 के द्वारा विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आयुक्त एवं शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं शासन उप सचिव को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र क्रमांक प.11 (1)प्रसु./सूअप्र./2015 दिनांक 05.02.15 के निर्देशों की पालना में माननीय राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई हेतु विभागीय पत्र क्रमांक एफ.12(1) आप्र. एवं सहा./सूअ./2012/6526–32 दिनांक 22.08.19 के द्वारा इस विभाग के सहायक शासन सचिव एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग परिपत्रादेश क्रमांक प. 3(227)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.11 एवं माननीय राजस्थान सूचना आयोग में अपील संख्या–1482/2012 के निस्तारण के क्रम में पारित निर्णय दिनांक 01.05. 2013 की पालना में इस विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की अद्यतन सूचना प्रशासनिक सुधार (सूअप्र.) विभाग को भिजवायी जाती है।

विभाग के मुख्यालय स्तर पर सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्पर्क कर आवेदित सूचना का विस्तृत विवरणानुसार निर्धारित फीस जमा कराने के फलस्वरूप नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जावेगी। चूँकि विभाग के प्रायः सभी कार्य जिलों के जिला कलक्टर्स के माध्यम से सम्पादित कराये जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अकाल राहत कार्य एवं अन्य आपदा/सहायता से सम्बन्धित सूचना के लिए जिला/उपखण्ड/तहसील स्तर पर भी आवेदन कर सकता है। जैसेः–

वांछित सूचना का प्रकार	सूचना प्राप्त करने की एजेंसी
(i) अकाल राहत कार्यों में नियोजित श्रमिकों के भुगतान आदि प्रकरण	जिला कार्यालय/तहसील/पंचायत समिति/ पी.डब्ल्यू.डी./अन्य विभाग जिसके माध्यम से कार्य कराये/

	सहायता दी जाती है।
(ii) पशु चारा डिपो/गौशाला, पशु शिविर अनुदान आदि	उपरोक्तानुसार
(iii) अग्नि/अतिवृष्टि/बाढ़/पेयजल व अन्य सहायता सम्बन्धी प्रकरण	उपरोक्तानुसार

वांछित सूचना जिला/तहसील एवं एजेंसी स्तर पर उपलब्ध/समाधान नहीं कराने की स्थिति में प्रथम अपील संबंधित जिला कलक्टर/अपीलेंट अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। प्रथम अपील का निस्तारण/समाधान/संतोषजनक नहीं होने पर द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग में की जा सकती है।